"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2018—चैत्र 9, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 31/LV-CMS-553-2017-Dec/1-8/ स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 28-11-2017 से 07-12-2017 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, (संविदा) मुख्यमंत्री सचिवालय में पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 35/LV-4-551-2017-Dec/1-8/ स्था.—श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, को दिनांक 26-12-2017 से 30-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 37/LV-29-306--2017-Dec/1-8/ स्था.—श्री के. के. गौतम, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 04-12-2017 से 15-12-2017 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. गौतम, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गौतम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौतम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 43/LV-25-261--2017-Nov./1-8/ स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, को दिनांक 26-12-2017 से 06-01-2018 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती खेस्स, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 47/LV-38-215--2017-Nov./1-8/ स्था.—श्री एच. के. उईके, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 19-12-2017 से 23-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. उईके, आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एच. के. उईके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उईके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 49/LV-1/1505-2017-Dec./1-8/ स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-12-2017 से 30-12-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया, आगामी आदेश तक उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राम प्रसाद राठिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्रमांक 55/LV-1/1436-2017-Nov./1-8/ स्था.—श्री सुधीर काले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-13), का दिनांक 11-12-2017 से 15-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर काले, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुधीर काले, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर काले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्रमांक 69/LV-31/143-2017-Dec./1-8/ स्था.—श्री याकुब खेस्स, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 26-12-2017 से 06-01-2018 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री याकुब खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक 75/LV-22-306-2017-Dec./1-8/ स्था.—श्री अनिल कुमार शर्मा, (रा.प्र.से.) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 11-12-2017 से 14-12-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक 95/LV-1-1516-2017-Dec./1-8/ स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा), को दिनांक 19-12-2017 से 23-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी, आगामी आदेश तक में लेखाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री युसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. युसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2018

क्रमांक 97/LV-30-47-2017-Aug./1-8/ स्था.—श्री मोती राम खुंटे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, का निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अर्जित अवकाश	दिनांक 13-09-2017 से 18-09-2017 तक	06 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 29-12-2017 से 30-12-2017 तक	02 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री मोती राम खुंटे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मोती राम खुंटे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खुंटे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018

क्रमांक 103/LV-4-555-2017-Dec./1-8/ स्था.—श्री अरविंद कुजूर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग का दिनांक 23-12-2017 से 31-12-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुजूर, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरविंद कुजूर, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविंद कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018

क्रमांक 105/LV-4-426-2017-Oct../1-8/स्था.—श्री राजशेखर शर्मा, विशेष कर्त्तव्यवस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, को दिनांक 16-10-2017 से 18-10-2017 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजशेखर शर्मा, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजशेखर शर्मा, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजशेखर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018

क्रमांक 109/LV-Cms-536-2017-Nov../1-8/स्था.—श्री संतोष कुमार पवार, स्टाफ आफिसर, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री, का दिनांक 11-12-2017 से 15-12-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सन्तोष कुमार पवार, स्टाफ आफिसर, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सन्तोष कुमार पवार, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सन्तोष कुमार पवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक 1567/3474/21-ब (एक)/छ.ग./2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 के तहत् इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8429/2328/21-ब (एक)/छ.ग./2016 दिनांक 06-09-2016 के बिंदु क्रमांक 03 के द्वारा श्रीमती मोहिनी रानी गजेन्द्र को कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी में परामर्शदाता नियुक्त किया गया है, को प्रत्याहरित करती है.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक 1569/21-ब (एक)/छ.ग./2018.—श्री अजय कुमार मिश्रा, परामर्शदाता, परिवार न्यायालय, दुर्ग की सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी जारी आदेश क्र. 3723/1243/21-ब(एक)/छ.ग./2017 रायपुर, दिनांक 21-04-2017, एतद्द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक एफ 10-4/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री अभय गौरहा, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पूर्णकालिक कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 10-4/2018/16.—In exercise of the powers conferred by Section 8 (1) of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) the Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri Abhay Gauraha, Assistant Director, Industrial Health & Safety, to be full time Inspector of Factories for whole of the Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2018

क्रमांक 1414/4332/2017/18.—श्री अभिनव अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर को दिनांक 12-03-2018 से 16-03-2018 (05 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गरियाबंद	गरियाबंद	श्री सुमीत कपूर, जेएमएफसी, रायपुर
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	श्रीमती गंगा पटेल, जेएमएफसी, बिलासपुर

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the state level selection commettee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gariyaband	Gariyaband	Shri Sumit Kapoor, JMFC, Raipur
2.	Bilaspur	Bilaspur	Smt. Ganga Patel, JMFC, Bilaspur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक एल 2018-04-00404/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, कोषालय नियम, छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त संहिता में, जिल्द-एक में,

भाग-दो में, अध्याय एक में, अनुभाग चार में सहायक नियम 50 की टिप्पणी 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

टिप्पणी 1. "कोषालय का कारबार (जैसे धन की प्राप्तियां एवं भुगतान) अवकाश के दिनों में निलंबित नहीं किया जाना चाहिए."

No. L 2018-04-00404/Finance/Rules/IV.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Treasury Rules, Chhattisgarh (The Chhattisgarh Treasury Code), namely :—

AMENDMENT

In the said Code, in volume-I,—

In part II, in Chapter I, in Section IV, for Note 1 of subsidiary rule 50, the following shall be substituted, namely :—

"**Note 1**.— Treasury business proper (i.e., receipts and payments of money) should not be suspended on holidays."

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2018

क्रमांक एफ 2018-04-04081/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, कोषालय नियम, छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त संहिता में, जिल्द-एक में,

भाग-दो में, अध्याय चार में, अनुभाग-दो में, सहायक नियम 206 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) शासकीय सेवक के मासिक वेतन एवं निर्धारित भत्तों के देयक, उस माह, जिससे वे संबंधित है, के अंतिम दो कार्य दिवसों में भुगतान के लिये देय हो जायेंगे, तथापि, मार्च माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान, अप्रैल माह के प्रथम कार्य दिवस में ही किये जायेंगे."

No. F 2018-04-04081/Finance/Rules/IV.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Treasury Rules, Chhattisgarh (The Chhattisgarh Treasury Code), namely :—

AMENDMENT

In the said Code, in Volume-I,—

In part II, in Chapter IV, in Section- II, in Subsidiary Rule 206, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Bill for monthly pay and fixed allowances of Government servant shall be due for payment on the last two working days of the month to which they relate, however, the pay and allowances for the month of March shall be paid on the first working day of April."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक 2248/एफ 20/01/2017/13/2/ऊ.वि.—राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा-162 की उपधारा (1) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 (यथासंशोधित) के विनियम 43 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 650 वोल्ट को उस वोल्टेज के रूप में अधिसूचित करता है, जिससे अधिक के विद्युत संस्थापन को जिनमें आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के संस्थापना भी सम्मिलित है, में विद्युत प्रवाह के पूर्व, निरीक्षण एवं जांच उपरांत अनापत्ति जारी करने के लिए विद्युत निरीक्षक को अधिकृत करता है.

परंतु बड़ी सार्वजनिक सभा या अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रमों की दशा में समस्त संबंधित विद्युत संस्थापना का निरीक्षण और जांच विद्युत निरीक्षक द्वारा की जाएगी.

परंतु यह और कि अधिसूचित और इससे कम वोल्टेज के प्रत्येक विद्युत संस्थापन के लिए निरीक्षण, जांच संस्थापन के स्वामी द्वारा आपूर्ति शुरू करने से पहले या 6 महीने या इससे ज्यादा समय से बंद संस्थापन को पुन: शुरू करने के लिए स्वप्रमाणित की जाएगी, जिससे कि सुसंगत विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके एवं विद्युत निरीक्षक को संस्थापन के स्वामी द्वारा एक माह के भीतर स्वप्रमाणन की रिपोर्ट विनियम की अनुसूची-चार के यथास्थिति प्ररूप-एक या प्ररूप-दो या प्ररूप-तीन में प्रस्तुत की जाएगी, संस्थापन के स्वामी को उक्त विनियम के विनियम 43 के उप विनियम (3) के अंतर्गत विद्युत निरीक्षक से निरीक्षण और जांच का एक विकल्प भी उपलब्ध होगा.

परंतु यह और भी कि राज्य शासन, छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) से ऐसे पर्यवेक्षण क्षमता प्रमाण पत्र धारकों को, जो विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारण करते हों और विद्युत संस्थापनों की स्थापना, प्रचलन और रखरखाव में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव रखते हों, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल इंजिनियर के रूप में उक्त विनियम, के विनियम 5 (क) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि या चार्टर तैयार होने तक, जो भी पहले हो, प्राधिकृत करती है.

2. उक्त विनियम के विनियम 30 के प्रयोजन के अंतर्गत विद्युत निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण और जांच के प्रयोजन हेतु 250 वोल्ट अधिसूचित वोल्टेज होगा.

3. स्वप्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2015 के प्रावधान लागू होंगे.

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 2248/F-20/01/2017/13/2/ED.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with regulation 43(2) of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), the state government, hereby notifies 650 Volt as the voltage, and any other Electrical Installations of Supplier (s) or Consumer (s) which has operating voltage in excess of the 650 voltage shall require a No objection Certificate be issued by the Electrical Inspector after conducting inspection & testing of said electrical installation, before commencement of supply in the said Electrical Installations.

Provided that, related Electrical Installations, established for large Public gathering or Programs organized for Very Important Persons, the inspection and testing of all such Electrical Installations shall be inspected & tested by the Electrical Inspector.

Provided further that, the Inspections & Testing report within one month in prescribed form I or From II from III of schedule IV of the said Regulation for each of such electrical installation (s) of such notified or less voltage shall be submitted with self certifications by the owner of the said installation, prior to commencement of supply or re-energization of such installation (s) which were shutdown for 6 months or more than 6 months period, so that the

specific safety measures under the relevant regulation are being ensured. In compliance to sub-regulation (3) of Regulation 43 of the said Regulation. an option shall be available with the Electrical Inspector for Inspection & Testing of such Electrical Installation (s).

Provided also that State Government authorizes any such Graduate Engineer possessing degree in electrical engineering and a certificate holder of requisite supervisory competency issued by the Chhattisgarh Licensing Board (Electricity) with a minimum working experience of 5 years in operation & maintenance of Electrical Installation under Regulation 5 (A) of the siad Regulation for a period of 1 year or till the Charter is acquired, whichever is earlier.

2. To comply with the objective of regulation 30 of the said Regulation, 250 volt shall be the notified Voltage for the purpose of Inspection & Testing from time to time by the Electrical Inspector.

3. To full fill the objective of self certification the provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Amendment Regulations, 2015 shall be applicable.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक 2250/एफ 20/01/2017/13/2/ऊ.वि.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा-162 की उपधारा (1) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा के उपाय) विनियम 2010 (यथासंशोधित), के विनियम 32 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पारंपरिक एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित ऐसे पॉवर जनरेशन इकाईयां जिनकी कुल क्षमता 10 किलोवाट या 12.5 केव्हीए से अधिक है, से विद्युत के उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण एवं जांच उपरांत अनापत्ति जारी करने के लिए विद्युत निरीक्षक को अधिकृत करती है.

तदानुसार 10 किलोवाट एवं इससे कम क्षमता की विद्युत जनरेशन इकाईयों के निरीक्षण एवं जांच उपरांत अनापत्ति पत्र जारी करने के लिए पात्रताधारित चार्टेड इलेक्ट्रीकल इंजीनियर को अधिकृत किया जाता है.

अत: विद्युत के प्रत्येक ऐसे उत्पादक जिनकी कुल क्षमता 10 किलोवाट या 12.5 केव्हीए से अधिक है को विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 2250/F-20/01/2017/13/2/ED.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), the state government, hereby, authorizes the Electrical Inspector to issue No objection Certificate after inspection and testing, before commencing the generation of electiricity, from such power generation units based on conventional or new and renewable sources of energy whose total capacity is more than 10KW or 12.5 KVA.

Accordingly, State government here by authorizes a eligible Chartered Electrical Engineer for the purpose of Inspection & Testing of electricity generation unit (s) having total capacity below 10KW.

Therefore, any such generation unit (s) having, total capacity above 10KW or 12.5 KVA. shall be permitted to commence production of electricity only after obtaining prior No Objection Certificate from the Electricial Inspector.

Therefore, before commencing electricity production, each such producer of electricity whose total capacity is more than 10KW or 12.5 KVA will be permitted to commence electricity production only after obtaining a No Objection ceritificate from the Electrical Inspector.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक 2252/एफ 20/01/2017/13/2/ऊ.वि.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-180(2)(ण) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 (यथासंशोधित) के विनियम 36 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य में 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के ऐसे भवन/भवनों में (केन्द्र सरकार या उसके उपक्रमों के भवनों को छोड़कर), जिनमें 100 वोल्ट या अधिक वोल्टता पर 250 वाट या अधिक विद्युत भार के कनेक्शन स्थापित हैं के विद्युत संस्थापनाओं में विद्युत प्रवाह के पूर्व निरीक्षण एवं जांच उपरांत अनापत्ति जारी करने के लिए विद्युत निरीक्षक को अधिकृत करती है.

तदानुसार राज्य में निर्मित/प्रस्तावित सभी ऐसे भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक है में विद्युत करनेक्शन हेतु स्थापित संस्थापनाओं में विद्युत प्रवाह के पूर्व विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 2252/F-20/01/2017/13/2/ED.— In exercise of the powers conferred by Section 180(2) (o) of Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-regulation (1) of regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), the state government, hereby, authorizes the Electrical Inspector to issue No objection Certificate after inspection and testing, prior to the commencement of supply, in electrical installations of such building/buildings in the state, having height of 15 meters or more (excluding the building of Central Government and its undertaking) having electrical supply at 100 volt or more voltage with connected load of 250 watt or exceeding 250 watt at above voltage.

Accordingly, it will be mandatory to obtain a No objection Certificate from the Electrical Inspector before energization of the electrical installation, established at building/buildings constructed in state having height of 15 meter and above.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

नया रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2017

क्रमांक 2254/एफ 20/01/2017/13/2/ऊ.वि.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा-162 की उपधारा (1) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2010 (यथासंशोधित) के विनियम 30 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य में स्थापित सभी ऐसी विद्युत संस्थापनाएं, जो विद्युत उपभोक्ता एवं विद्युत आपूर्तिकर्ता से सम्बद्ध हो (केन्द्र सरकार से संबद्ध एवं खानों, तेल क्षेत्रों और रेल के मामले तथा सिंचाई के प्रयोजन से राज्य में स्थापित सिंचाई पंप कनेक्शन को छोड़कर) और विद्युत लाइसेन्सी के 250 वोल्टता या उससे अधिक वोल्टता के संयंत्र से संयोजित हो, का निरीक्षण/जांच प्रत्येक पांच वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार करने हेतु विद्युत निरीक्षक के अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. 2254/F-20/01/2017/13/2/ED.— In exercise of the powers conferred by sub-ssection (1) of section 162 of the electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with regulation 30 (1) of the Central Electsicity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) Regulations, 2010 (as amended), the state government, hereby, authorizes Electrical Inspector to inspect/test at least once in every 5 financial years all such electrical installations established in the state which are related to the consumers of the electricity and electricity suppliers, (excluding installation relating to the Central Government and Mines, Oil Fields & Railways and Irrigation Pump connections installed in the state for the purpose of Irrigation) and which are connected to any installation operating at 250 Volt or more of the licensee.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-17/2017/32.—राज्य शासन, श्री नरेन्द्र कुमार असवाल, सेवानिवृत्त भा.प्र.से., को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 21 एवं 22 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति के फलस्वरूप श्री नरेन्द्र कुमार असवाल की सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन एवं भत्ते आदि ऊपर वर्णित अधिनियम/ नियम के प्रावधानों से शासित होंगी.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2018

क्रमांक एल 7-17/2017/32.—राज्य शासन, श्री राजीव कुमार टम्टा, सेवानिवृत्त भा.व.से., को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 21 एवं 22 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत सदस्य, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति के फलस्वरूप श्री राजीव कुमार टम्टा की सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन एवं भत्ते आदि ऊपर वर्णित अधिनियम/ नियम के प्रावधानों से शास्ति होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक एल 7-6/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला सरगुजा के रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2018

क्रमांक एल 7-38/2017/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 23-12-2017 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लागतार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 की सारणी क्रमांक 3-सा-10 की कंडिका 01 में कालम क्रमांक-2 में उपांतरण

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-03-सा-10 की कंडिका 01 के कालम-2 में उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	03-सा-10 की कंडिका 01 के कालम-2	एम.आर. क्रमांक 01	अभिव्यक्त राजमार्ग (एक्सप्रेस हाईवे)

2. रायपुर धमतरी छोटी रेल लाईन को स्थानांतरित कर उसके स्थान पर एम.आर.-01 विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में प्रस्तावित किया गया है. यह मार्ग गुढ़ियारी अण्डर पास से प्रारंभ होकर बिलासपुर मार्ग, बलौदाबार मार्ग, मुख्य मार्ग क्रमांक-03 एवं रिंग रोड क्रमांक 04 होते हुए निवेश क्षेत्र की सीमा तक होगा.

3. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अभिव्यक्त राजमार्ग (एक्सप्रेस हाईवे) प्रयोजन हेतु.

4. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

5. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एल 7-10/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत बेमेतरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 का अनुमोदन करती है. बेमेतरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. बेमेतरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बेमेतरा (छ.ग.)

3. कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से बेमेतरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एल 7-10/2017/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में बेमेतरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 22nd March 2018

No. F 7-10/2017/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Bemetara Development Plan (Droft) 2031 submitted by Commissioner cum Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam, Bemetara Development Plan (Droft) 2031 is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Bemetara Development Plan (Droft) 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Joint Director, Town & Country Planning Regional Office Durg (C.G.)
2. Chief Municipal Officer, municipality Parishad, Bemetara (C.G.)
3. Collector, Bilaspur (C.G.)

3. The Bemetara Development Plan (Droft) 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Addl. Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एल 7-21/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकन) 2031 का अनुमोदन करती है. बिलासपुर विकास योजना, (पुनर्विलोकित) 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-21/2016/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 22nd March 2018

No. F 7-21/2016/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Bilaspur Development Plan (Review) 2031 submitted by Commissioner cum Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. Bilaspur Development Plan (Revised) 2031 is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Bilaspur Development Plan (Revised) 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Joint Director, Town & Country Planning Regional Office Bilaspur (C.G.)

2. Commissioner, Municipal Corporation, Bilaspur (C.G.)

3. Collector, Bilaspur (C.G.)

3. The Bilaspur Development Plan (Revised) 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Addl. Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-33/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत खैरागढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 का अनुमोदन करती है. खैरागढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. खैरागढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़ (छ.ग.)

3. कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से खैरागढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22मार्च 2018

क्रमांक एल 7-33/2017/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में खैरागढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 22-03-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 22nd March 2018

No. F 7-33/2017/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Khairagarh Development Plan (Droft) 2031 submitted by Commissioner cum Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. Khairagarh Development Plan (Droft) 2031 is being published in “Chhattisgarh Rajpatra” for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Khairagarh Development Plan (Droft) 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Diputy Director, Town & Country Planning Regional Office Rajnandgaon (C.G.)
2. Chief Municipal Officer, municipality Parishad, Khairagarh (C.G.)
3. Collector, Rajnandgaon (C.G.)

3. The Khairagarh Development Plan (Droft) 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Addl. Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 19 फरवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/46/39/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	महासमुंद	सिरपुर	0.56	पुरातत्व सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उत्खनन हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-03-2018 समय 11.00 बजे से स्थान सिरपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पुरातत्व परिसम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा एवं उत्खनन हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 17750000.00
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यक्तियों को आजिविका रोजगार मिलेगा.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे है. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद को पूर्व में राशि रु. 17750000.00 का भुगतान चेक क्रमांक 691560 दिनांक 29-03-2016 राशि रु. 8750000.00 एवं चेक क्रमांक 691561 दिनांक 29-03-2016 राशि रु. 9000000.00 से जमा किया गया है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक/1032/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चचिया प.ह.नं. 13	6.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धवन नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्रमांक/1256/भू-अर्जन/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	धौराभांठा प.ह.नं. 12	5.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धवन नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक/1810/09 अ-82 वर्ष 2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	ग्राम सुन्दरा	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	जिला बालोद के देवीनवागांव से सुन्दरा मार्ग में तान्दुला नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

रा.प्र.क्र. 17/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-पवनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	213	0.05
	263	0.16
	264	0.11
	265	0.30
योग		0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र./369/वा./भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपैरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	384/1	0.06
	380	0.02
	378	0.02
	376/2	0.01
	375	0.04
	369/1	0.04
	369/2	0.06
	376/1	0.01
योग	08	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-छतौना, दरबा, कुटेसर, बडगांव, कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्र./378/वा./भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-दरबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.4902 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	484	0.004
	486	0.0062
	489	0.0068
	176	0.052
	518	0.0768
	173	0.0792
	525	0.042
	522/1	0.2232
योग	08	0.4902

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-छतौना, दरबा, कुटेसर, बडगांव, कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/8951.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/5307-08 रायपुर, दिनांक 12-10-2017 द्वारा श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को, कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 4803 दिनांक 09-02-2018 द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार भोई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. के. टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली, के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री नरेन्द्र कुमार भोई, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2017-18/8953.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/2903-2904 रायपुर, दिनांक 14-07-2016 द्वारा श्री शिवकुमार तिवारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुन्द को, कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 4802 दिनांक 09-02-2018 द्वारा श्री अमित कुमार मोहंती अनुविभागीय कृषि अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री शिवकुमार तिवारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुन्द का सेवानिवृत्त हो जाने से उनके स्थान पर श्री अमित कुमार मोहंती अनुविभागीय कृषि अधिकारी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/8955.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/3952-3953 रायपुर, दिनांक 24-08-2017 द्वारा श्री छन्नू लाल मार्कण्डेय संयुक्त कलेक्टर (रा.) को कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला-उ.ब.कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय जगदलपुर संभाग के पत्र क्रमांक 2362 दिनांक 16-02-2018 द्वारा श्री आनंद सिंह नेताम, सहायक संचालक कृषि जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को कृषि उपज मंडी समिति कांकेर जिला-उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री छन्नू लाल मार्कण्डेय संयुक्त कलेक्टर (रा.) के स्थान पर श्री आनंद सिंह नेताम, सहायक संचालक कृषि जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कांकेर जिला–उ.ब. कांकेर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक/बी–8/32(2)/भा.अधि./2017–18/8957.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी–8/32(2)/भा.अधि./2017–18/2942–2943 रायपुर, दिनांक 21–07–2017 द्वारा श्रीमति प्रियंका देवांगन नायब तहसीलदार छुईखदान को, कृषि उपज मण्डी समिति गंडई, जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 4941 दिनांक 16–02–2018 द्वारा श्री बी. एल. साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति गंडई जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति प्रियंका देवांगन नायब तहसीलदार छुईखदान के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री बी.एल. साहू वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी छुईखदान को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गंडई जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक/बी–8/32(2)/भा.अधि./2017–18/8959.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी–8/32(2)/भा.अधि./2014–15/3925–3926 रायपुर, दिनांक 22–10–2017 द्वारा श्री पी. एस. ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ को, कृषि उपज मण्डी समिति खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 4763 दिनांक 06–02–2018 द्वारा श्री सी. के. ठाकुर अनुविभागीय कृषि अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पी. एस. ध्रुव अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ के स्थानांतरण हो जाने से उनके स्थान पर श्री सी. के. ठाकुर अनुविभागीय कृषि अधिकारी को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.